

विकलांगता पेंशन (रूल-275)	सदस्यता	पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में 500 /- रुपये (पांच सौ) की राशि प्रतिमाह बतौर पेंशन देने का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में 50,000 /- रुपये (पचास हजार) और 50 प्रतिशत से कम विकलांगता में 25,000 /-रुपये (पच्चीस हजार)की राशि प्रदान की जाती है।
------------------------------	---------	--

Disability above 50 Percentage Scheme [Rule No.-275]

पंजीकृत लाभार्थी की 50 प्रतिशत से अधिक विकलांगता की स्थिति में मु.50,000/- रूपये (पचास हजार) की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

Disability below 50 Percentage Scheme [Rule No.-275]

पंजीकृत लाभार्थी की 50 प्रतिशत से कम विकलांगता की स्थिति में मु.25,000/- रूपये (पच्चीस हजार) की अतिरिक्त राशि प्रदान की जाती है।

Disability Pension Scheme [Rule No.-275]

पंजीकृत लाभार्थी की दुर्घटना एवं बिमारियों के कारण हुई विकलांगता की स्थिति में मु.500/- रूपये (पांच सौ) की राशि प्रतिमाह बतौर पेंशन देने का प्रावधान है।